(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग-III, खण्ड-4 में प्रकाशित)

<u>महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण</u>

जी. संख्या - 169 **नई दिल्ली 17 अगस्त, 2011**

<u>अधिसूचना</u>

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38 वाँ) की धारा 49 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एततद्‌वारा मुंबई पत्तन न्यास को छोड़कर, सभी महापत्तन न्यासों के दरमान अनुसूची में एक सशर्तता के रूप में लाइसेंस फीस और पट्‌टा किराये इस दस्तावेज के साथ संलग्न आदेशानुसार सन्निविष्ट करता है।

(रानी जाधव)

अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
मामला संख्या. टीएएमपी/18/2011-साधारण

आदेश

(जुलाई, 2011 के 26 वें दिन पारित)

भारत सरकार के पोत मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या पीटी-11033/ पीटी दिनांक 4 मार्च, 2011 के द्वारा महापत्तन 2010 के लिए भूमि नीति कार्यान्वयन के लिए अग्रेषित कर दी है जो बताया गया है कि 13 जनवरी, 2011 से लागू हो गई है। इस प्राधिकरण से अपेक्षा की जाती है कि वह महापत्तनों में पट्टा किराया नियमित करने में, सरकार द्वारा समय-समय पर जारी भूमि नीति मार्गदर्शियों का अनुपालन करें ।

2. यह सुनिश्चित करने के लिए कि वर्तमान दरमान/ महापत्तन न्यासों के लाइसेंस शुल्क / पट्टा किरायों प्रावधान,महापत्तन-2010 के लिए भूमि-नीति में प्रदत्त प्रावधानों के अनुरूप है, एवं निम्नलिखित सशर्तता, सभी महापत्तन- न्यासों में (मुंबई पत्तन न्यास को छोड़कर) समान रूप से लागू किए जाने के लिए प्रदान की जाती है:

“प्रचलित दरमान लाइसेंस फीस और पट्टा किराये की अनुसूची में प्रदत्त सभी शर्तें / टिप्पणियाँ,उतनी मात्रा में लागू होंगी जितनी मात्रा में वे भारत सरकार द्वारा 13 जनवरी, 2011 को उद्घोषित महापत्तन-2010 भू-नीति में प्रदत्त शर्तों से असंगत नहीं है। असहमति की स्थिति में, भारत सरकार द्वारा महापत्तन-2010 भू-नीति में प्रदत्त शर्तें ही प्रचलित रहेंगी ।“

3. दरमान में उपरोक्त संशोधन 13 जनवरी, 2011 से अर्थात् भू-नीति 2010 की उद्घोषणा की तारीख से प्रभावी माना जाएगा ।

4. सभी महापत्तन न्यासों (मुंबई पत्तन न्यास को छोड़कर) को एततद्वारा निदेश दिया जाता है कि वे उपरोक्त कथित शर्तबन्दी को अपने दरमान लाइसेंस फीस और पट्टा किराये की अनुसूची में सन्निविष्ट कर लें ।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष